न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणीं, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी

जी0आर0 केस सं0 695/2013

(राज्य बनाम राजेश कुमार यादव)

02.07.2026 प्रस्तुत वाद के अभियुक्त **राजेश कुमार यादव** की ओर से नवीन शक्तिपत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जिसकी एक प्रति सहायक अभियोजन पदाधिकारी को प्राप्त कराया गया है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

जमानत आवेदन संचालित किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति है। अभियुक्त पूर्व से न्यायालय द्वारा जमानत पर है इनके विरूद्ध लगाये गये सभी धारा जमानतीय हैं। वाद व्यवहार न्यायालय खगड़िया से अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में स्थानांतरण की सूचना अभियुक्त को नही मिली। सूचना के अभाव में हाजिरी पैरवी नहीं हो सका एवं बंधपत्र दिनांक 23.03.2023 को खंडित हो गया। बंधपत्र खंडित उपरान्त Cr.P.C की धारा 82 की कार्रवाई का आदेश दिनांक 20.01.2026 को किया गया। आवेदक स्थानीय निवासी है इनके फरार होने की संभावना नहीं है। अतः प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सहायक अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी अभियुक्त का दिनांक 23.03.2023 को बंध पत्र खंडित किया गया है। वाद व्यवहार न्यायालय खगड़िया से अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में स्थानांतरण की सूचना अभियुक्त को नही मिली। सूचना के अभाव में बंधपत्र खंडित हो गया। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 337, 338, 427 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को मो0 7000 रूपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने एवं जिला विधिक सेवा प्रधिकरण खगड़िया के कार्यालय में अर्थ दण्ड के रूप में 1000 रूपए जमा करने के पश्चात जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि अभियुक्त न्यायालय में वाद निष्पादन तक प्रत्येक नियत तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे।

लेखापित

न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणीं

पश्चात

02.07.2026 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्तगण **राजेश कुमार यादव** की ओर से जमानत आवेदन, 1000 रूपए अर्थदण्ड जमा करने की रशिद, घोषणा पत्र एवं आधार कार्ड, साथ ही जमानतदार की ओर से घोषणा पत्र, मालगुजारी रशिद, एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गई है। जिसे जांचोपरांत सही पाकर बंधपत्र स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणीं